न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 61/2021
RCMS No. : 2021/184

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली हाल बांसवाडा		1. राजुराम पुत्र श्री सोमाराम गवारिया(मालिक) मैसर्स बाबा रामदेव किराणा स्टोर वायद बस स्टेण्ड तह रोहट जिला पाली 2. तेजाराम मैसर्स श्री सुन्धा मसाला उद्योग पुराना बस स्टेण्ड धुन्धाडा तहसील लुणी जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :—
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह कुम्पावत।

—: निर्णय :—

दिनांक 24.08.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 25.11.2020 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स बाबा रामदेव किराणा स्टोर वायद बस स्टेण्ड तहसील रोहट जिला पाली पर गया। जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला, जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में देने पर अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। अप्रार्थी की फर्म बाबा रामदेव किराणा स्टोर का निरिक्षण करने पर पाया कि दुकान में मिर्च पाउडर के 15 पैकेट रखे हुए थे जिसमें प्रत्येक में 500—500 ग्राम मिर्च पाउडर था, जिस पर ब्राण्ड नेम सुन्धा लिखा हुआ था। जो आम जन को बिक्री हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। अप्रार्थी संख्या 01 को यह बता दिया कि बिक्री हेतु रखे मिर्च पाउडर(ब्राण्ड सुन्धा) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जाचं हेतु नमुना ले रहा हुं। इसलिए विक्रेता मालिक व गवाहान कि उपस्थिति में मिर्च पाउडर(ब्राण्ड सुन्धा) जॉच हेतु चार मुल पैकेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

500–500 ग्राम के क्रय कर जिनका मूल्य 360 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मालिक एवं उपस्थित गवाह ने हस्ताक्षर किये। तथा दुकान से खरीदे गये चारो मिर्च पाउडर(ब्राण्ड सुन्धा) के नमुना पैकेट पर मौके पर लेबल तैयार कर उस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व क्रमांक आर–1163 लिखा एवं नमुना का विवरण अंकित किर मालिक एंव गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये एवं नियमानुसार सीलबंद मुहर कर अपने जाब्ते में लिया। विक्रेता अप्रार्थी संख्या 01 से बिल के बारे में पुछने पर बताया कि उक्त मिर्च पाउडर(ब्राण्ड सुन्धा) श्री सुन्धा मसाला उद्योग पुराना बस स्टेण्ड धुन्धाडा तहसील लुणी जोधपुर से खरीद करना बताया एवं जिसका बिल क्रमांक 951 दिनांक 07.11.2020 मौके पर प्रार्थी को पेश किया। प्रार्थी द्वारा मौके पर मौका फर्द तैयार कि जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्हाने स्वयं पढकर सुनकर एवं समझकर एवं सही मान हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त समस्त कार्यवाही मौके पर ही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया मिर्च पाउडर(ब्राण्ड सुन्धा) का नमुना एंव फार्म संख्या 06 की प्रतिया स्वंय प्रार्थी द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को जमा कर रसीद प्राप्त की। जिसके सन्दर्भ में डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/1293–94 दिनांक 10.02.2021 एवं जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/992/एक्ट/2020/990 दिनांक 28.12.2020 के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा विक्रेता की फर्म से लिया गया मिर्च पाउडर(ब्राण्ड सुन्धा) का नमुना Mis Branded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act-2006 पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Mis Branded मिर्च पाउडर(ब्राण्ड सुन्धा) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया है खाद्य विश्लेषक की जांच की रिपोर्ट के अनुसार मिर्च पाउडर(ब्राण्ड सुन्धा) उत्पादन की गुणवता के मानक स्तर पर पाई गई है। लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के बिरूद्ध मिसब्राण्ड के आधार पर अप्रार्थी को लेबल पर बेच नम्बर, डेट ऑफ मेनुफेक्चरिंग व पूर्ण पता नहीं होने के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया है। लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों का उल्लेख फर्द जब्ती पर नहीं किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषमुक्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से मिर्च पाउडर(ब्राण्ड सुन्धा) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1163 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./992/एक्ट/2020/990 दिनांक 28.12.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1163 को Mis Branded under section

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

3(1)(zf)(C)(i) माना है, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नमुना मिर्च पाउडर(ब्राण्ड सुन्धा) पर बैच नम्बर स्पष्ट अंकित नही एंव, मैनुफैक्चुरिंग/पैकिंग फर्म का पूर्ण पता अंकित नहीं होने से मिस ब्राण्ड माना है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.2 (6) (8) के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का भी उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Mis Branded खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (ब्राण्ड सुन्धा) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 2 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये कुल 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 24.08.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली